1/5/18 फरावली लोक अदालत - पक्ष अपने वाद वापस पत्र पर किया है। उनकी ओर से प्रार्थी वाद मूल वाद लंबित है। पक्षकार का अधिवक्ता के आगे कोई वाद नहीं अधिकृत नहीं है अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। फरावली कोर्ट फीस वापस देने का आदेश होता है।

(जगदीश प्रसाद गोयल)
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना

Scanned by CamScanner